

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
11/26/2014

रजिस्टर्ड नम्बर
2014/00013

प्रवेश तिथि
22-07-2014

निर्णय दिनांक
12-04-2023

- 01- मीरा पुत्री स्व० सोहनलाल पत्नि आनन्दसिंह जाति चमार
02- असरफी पुत्री स्व० सोहनलाल पत्नि हुकमसिंह जाति चमार निवासी ग्राम अखैगढ हाल
वासी सांगरिया मौहल्ला बी नारायण गेट के पास भरतपुर। (राजस्थान)
-अपीलांट

बनाम

- 01- शिवलाल पुत्र स्व० सोहनलाल जाति चमार,
02- लीला पुत्र सोहनलाल जाति चमार,
03- मु. रामा पत्नि स्व. सोहनलाल जाति चमार निवासीयान ग्राम अखैगढ तहसील कठूमर
जिला अलवर (राजस्थान)
04- राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)
-असल रेस्पोडेन्टान
05- लक्ष्मी पुत्री स्व० सोहनलाल जाति चमार,
06- पुष्पा पुत्री स्व० सोहनलाल जाति चमार,
07- राजो पुत्री स्व० सोहनलाल जाति चमार, निवासी ग्राम अखैगढ तहसील कठूमर जिला
अलवर (राजस्थान)
-तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार कठूमर दिनांक
15.02.1994 नामान्तरण संख्या 863 वाके ग्राम
अखैगढ तहसील कठूमर जिला अलवर जिसके
द्वारा असल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 के
नाम बेजा तोर पर स्वीकार किया गया है।

उपस्थित:-

- 01-श्री मूलचन्द चौधरी
01-श्री राजबहादुर
03-श्री दीपक मीना

- वकील अपीलान्ट
-वकील रेस्पो० संख्या 1, 2 व 5 लगा० 8
-राजकीय अभिभाषक

:-निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 15.02.1994 नामान्तरण संख्या 863 वाके ग्राम अखैगढ तहसील कठूमर है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित नामान्तरण संख्या 863 में वर्णित आराजी खसरा न० 52, 53, 50 वाके ग्राम अखैगढ के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मिन अपीलान्टान एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 2 व तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 5 लगायत 7 के पिता व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के पति सोहनलाल था, जिनके परिवार के वारिसान का सजरा निम्नानुसार है:- रामा (बेवा), शिवलाल (पुत्र), लीला (पुत्र), मीरा (पुत्री), असरफी (पुत्री), लक्ष्मी (पुत्री), पुष्पा (पुत्री), राजो (पुत्री) मृतक सोहनलाल के दो पुत्र रेस्पोडेण्टान शिवलाल

2-2
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

वै लीला तथा पौच पुत्री मिन अपीलान्तान एवं तरतीबी रेस्पोजेन्टस संख्या 5, 6, 7 है, जो सभी मृतक सोहनलाल के जायज व कानूनी वारिसान है, तथा मृतक की समस्त चल व अचल सम्पति में वहिस्सा बराबर-बराबर काबिज रहकर काशत करते चले आ रहे है। रेस्पोजेन्टस संख्या 1 लगायत 3 चालाक किस्म के व्यक्ति है, इनके द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से साज बाज होकर सोहनलाल के स्वर्गवास के पश्चात बाला-बाला केवल मात्र अपने नाम नामान्तकरण संख्या 863 दर्ज व स्वीकार करा लिया जिसका उन्हे कोई हक वो अधिकार किसी प्रकार का नहीं था, जबकि मिन अपीलान्तान व तरतीबी रेस्पोजेन्टान भी मृतक सोहनलाल के जायज व कानूनी वारिसान है, तथा हमारे नाम भी वहिस्सा बराबर-बराबर नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार करना चाहिए था। रेस्पोजेन्टान संख्या 1 लगायत 3 ने मात्र स्वयं के नाम नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार कर लिया जबकि रेस्पोजेन्ट संख्या 4 को यह वखूबी जानकारी थी, कि मृतक सोहनलाल के वारिसान मिन अपीलान्तान व तरतीबी रेस्पोजेन्टान भी है, तथा मौके पर वहिस्सा बराबर-बराबर काबिज रहकर काशत करते चले आ रहे है, तथा मिन अपीलान्तान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जायज व कानूनी वारिसान है। अब असल रेस्पोजेन्टान उक्त नामान्तकरण की आड में मिन अपीलान्तान को जबरन आराजी मुतनाजा से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है, जिसका उन्हे कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। विवादित नामान्तकरण तहत अदालत ने बिना मिन अपीलान्तान को तलब किये बिना/मौके की जौच किये बिना दर्ज कर निर्णित किया गया है, इससे मिन अपीलान्तान के हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होने का अंदेशा है। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकृत करने से पूर्व मौके की जौच करनी चाहिए थी तथा मिन अपीलान्तान को सुनकर नामान्तकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। तहत अदालत को उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत को भिजवाया जाना चाहिए था, और यदि 45 दिवस तक ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ही तहसीलदार को नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार करने का अधिकार होता है। इस प्रकार तहत अदालत के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है, जो काबिल निरस्तनीय है। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्तान को न तो तलब किया व न ही सुनवाई का अवसर दिया गया, मिन अपीलान्तान का उक्त आराजी में हित निहित है, इस लिए मिन अपीलान्तान को अपील पेश करना आवश्यक हुआ है, इस लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी का पृथक से पेश किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.02.1994 जानकारी मिन अपीलान्तान को सर्वप्रथम दिनाक 02.07.2014 को उस वक्त हुई, जब असल रेस्पोजेन्टान संख्या 1 लगायत 3 ने मिन अपीलान्तान के कब्जे काशत में रुकावट मजाहमत की तथा कि मृतक का विरासत नामान्तकरण संख्या 863 रेस्पोजेन्टान संख्या 1 लगायत 3 ने रेस्पोजेन्टान संख्या 4 से साज बाज होकर स्वयं के नाम दर्ज करा लिया और जबरन आराजी मुतनाजा से बेदखल करने की कोशिश कि जिस पर मिन अपीलान्तान ने दिनाक 03.07.2014 को नामान्तकरण की नकल हेतु आवेदन किया जो नकल उसी दिन सांय को प्राप्त हुयी। जिस पर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम के साथ पेश है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.02.1994 से जानकारी की दिनाक 03.07.2014 तक का समय बवजय लाइल्मी धारा 5 लिमिटेसन एक्ट के तहत माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम अखैगढ तहसील कटूमर निर्णय दिनाक 14.02.1994 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोजेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम अखैगढ तहसील कटूमर में वर्णित आराजी खसरा न0 52, 53, 50 वाके ग्राम अखैगढ तहसील कटूमर की विधिवत जौच कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है, अपील अपीलान्तान सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते जाहिर किया है, कि अपीलान्तान द्वारा 20 वर्ष पश्चात यह अपील पेश की गयी है, अपील करने में हुऐ विलम्ब का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है, जबकि विलम्ब के मामले में दिन प्रति दिन का ब्यौरा देना होता है। तहसीलदार कटूमर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम मोती का नगंला तहसील कटूमर विधिवत जौच कर

2-2
अतिरिक्त किता करवावर (प्रथम)
अकरावर (द्वयम)

निर्णय पारित किया गया है। अपील में पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्त व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्त ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 863 निर्णय दिनांक 15.02.1994 वाके ग्राम अखेगढ तहसील कटूमर जिला अलवर के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 22.07.2014 को पेश की गयी है, जो 20 वर्ष, 10 माह, 14 दिवस पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.1994 की जानकारी अपीलान्त को दिनांक 02.07.2014 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के विन्दु पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्त का मुख्य कथन है, कि विवादित नामान्तकरण संख्या 863 में वर्णित आराजी खसरा न0 52, 53, 50 वाके ग्राम अखेगढ के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मिन अपीलान्तान एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 2 व तरतीबी रेस्पोजेन्ट संख्या 5 लगायत 7 के पिता व रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के पति सोहनलाल था, मृतक सोहनलाल के दो पुत्र रेस्पोजेन्टान शिवलाल व लीला तथा पॉच पुत्री मिन अपीलान्तान एवं तरतीबी रेस्पोजेन्टस संख्या 5, 6, 7 है, जो सभी मृतक सोहनलाल के जायज व कानूनी वारिसान है, रेस्पोजेन्टस संख्या 1 लगायत 3 चालाक किस्म के व्यक्ति है, इनके द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से साज वाज होकर सोहनलाल के स्वर्गवास के पश्चात बाला-बाला केवल मात्र अपने नाम नामान्तकरण संख्या 863 दर्ज व स्वीकार करा लिया जिसका उन्हे कोई हक वो अधिकार किसी प्रकार का नहीं था, तथा मिन अपीलान्तान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जायज व कानूनी वारिसान है। अब असल रेस्पोजेन्टान उक्त नामान्तकरण की आड में मिन अपीलान्तान को जबरन आराजी मुतनाजा से वेदखल कर कब्जा करना चाहते है, जिसका उन्हे कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। विवादित नामान्तकरण तहत अदालत ने बिना मिन अपीलान्तान को तलब किये बिना/मौके की जाँच किये बिना दर्ज कर निर्णित किया गया है, इससे मिन अपीलान्तान के हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होने का अंदेशा है। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकृत करने से पूर्व मौके की जाँच करनी चाहिए थी तथा मिन अपीलान्तान को सुनकर नामान्तकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। तहत अदालत को उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत को भिजवाया जाना चाहिए था, और यदि 45 दिवस तक ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार नहीं किया जाता है, तो ही तहसीलदार को नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार करने का अधिकार होता है। इस प्रकार तहत अदालत के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है। पत्रावली/तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया अपीलान्तान द्वारा तहसीलदार कटूमर के आदेश दिनांक 15.02.1994 नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम अखेगढ तहसील कटूमर के विरुद्ध अपील पेश की गयी है, प्रस्तुत अपील में दिनांक 06.08.2014 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी का पेश कर अंकित किया गया है, कि अपील में नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम अखेगढ सहवन से दर्ज हो गया है, जबकि आराजी मोती का नंगला में स्थित है, जिसे दुरुस्त किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर दिनांक 19.05.2016 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर संशोधित अपील पेश करने हेतु आदेश दिये गये। वकील अपीलान्तान द्वारा दिनांक 28.12.2016 को संशोधित अपील पेश की गयी। जिस पर दिनांक 19.12.2022 को वकूलाय की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में संलग्न तहत अदालत द्वारा जारी प्रमाणित नकल के अनुसार नामान्तकरण संख्या 863 निर्णय दिनांक 15.02.1994 ग्राम का नाम डोरोली अंकित है, नामान्तकरण संख्या 863 निर्णय दिनांक 15.02.1994 वाके ग्राम मोती का नंगला का कोई राजस्व रिकार्ड संलग्न नहीं है, स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण पत्रावली पुनः बहस हेतु दिनांक 28.12.2022 को नियत की गयी। वकील अपीलान्तान द्वारा दिनांक 18.01.2023 को प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है, कि ग्राम मोती का नंगला पूर्व में डोरोली की सीमा में था, किन्तु तत्पश्चात मोती का नंगला को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया था इस प्रकार अपीलाधीन आराजी हाल खसरा न0 52 व 53 मोती का नंगला पटवार क्षेत्र डोरोली तहसील कटूमर में स्थित है। साथ साबिक आराजी


2-2
अतिरिक्त जिला दफतार प्रथम
अलवर (राज.)

खसरा न0 50 रकबा 5 बिस्वा के बाबत कोई अनुतोष किसी प्रकार का नहीं चॉह गया है। वकुलाय की बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया अपील अपीलान्टान आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.02.1994 नामान्तकरण संख्या 863 वाके ग्राम डोरोली (हाल मोती का नंगला) तहसील कठूमर खारिज किया जाता है, तथा अपील तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 50 को छोड़कर शेष आराजी खसरा न0 52 व 53 के संबंध में पुनः जाँच कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(उत्तम सिंह शेरवावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)